


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2014/माघ 8, 1935

No. 228]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2014/MAGHA 8, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2014

का.आ. 280(अ).—नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा श्री अरविंद केजरीवाल, विधान सभा सदस्य, नई दिल्ली तथा श्री सुरेन्द्र सिंह, विधान सभा सदस्य, दिल्ली कैंट को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सदस्य के रूप में नामित करती है और इस प्रयोजनार्थ, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 18 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 101 (अ) में, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 4, उप-पैरा (ख) के मद संख्या (i) तथा (ii) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्याएं और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“(ii) श्री अरविंद केजरीवाल
विधान सभा सदस्य,
नई दिल्ली।

(iii) श्री सुरेन्द्र सिंह
विधान सभा सदस्य,
दिल्ली कैंट।”

[फा. सं. 14011/48/2010-दिल्ली-II]

इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव

नोट :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में दिनांक 18 जनवरी, 2011 की सं. का.आ. 101(अ) के तहत प्रकाशित हुई थी और बाद में इसमें दिनांक 24 जून, 2011 के का.आ. 1453(अ), दिनांक 14 जुलाई, 2011 के का.आ. 1628(अ), दिनांक 17 अप्रैल, 2012 के का.आ. 835(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2012 के का.आ. 1737(अ), दिनांक 9 जुलाई, 2013 के का.आ. 2133(अ), दिनांक 9 जुलाई, 2013 के का.आ. 2134(अ) और दिनांक 25 जुलाई, 2013 के का.आ. 2308(अ) और दिनांक 19 सितम्बर, 2013 के का.आ. 2811(अ) के तहत संशोधन किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2014

S.O. 280(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby nominates Shri Arvind Kejriwal, Member of Legislative Assembly, New Delhi and Shri Surender Singh, Member of the Legislative Assembly, Delhi Cantt. as members of the New Delhi Municipal Council and for that purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, number S.O.101(E), dated the 18th January, 2011, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

In the said notification, in paragraph 4, sub-paragraph (b), for item numbers (i) and (ii) and entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be substituted, namely:

- “(i) Shri Arvind Kejriwal
Member of Legislative Assembly,
New Delhi.
- (ii) Shri Surender Singh
Member of Legislative Assembly,
Delhi Cantt.”

[F. No. 14011/48/2010-Delhi-II]

IQBAL SINGH CHAHAL, Jt. Secy.

Note :—The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide S.O.101(E) dated the 18th January, 2011, and subsequently amended vide S.O.1453(E) dated the 24th June, 2011, S.O.1628(E) dated the 14th July, 2011, S.O. 835(E) dated the 17th April, 2012, S.O.1737(E) dated the 3rd August, 2012, S.O. 2133(E) dated the 9th July, 2013, S.O.2134(E) dated the 9th July, 2013, S.O.2308(E) dated the 25th July, 2013 and S.O. 2811(E) dated the 19th September, 2013.